न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
406/2022	14.09.2022	25-1-2023

उनवान

1. उम्मेदसिंह पुत्र रोशनलाल जाति जाट
2. केला पत्नी रामकुवार जाति जाट
3. प्रिंयका पुत्री रामकुवारंर जाति जाट
4. सरला पुत्री रामकुवार जाति जाट
5. दुलीचन्द पुत्र हेतराम जाति जाट
6. लक्ष्मी पुत्री प्यारेलाल जाति जाट
7. विनोद पुत्र प्यारेलाल जाति जाट
8. सरबती पत्नी प्यारेलाल जाति जाट
9. सावित्री पुत्री प्यारेलाल जाति जाट सभी निवासी ग्राम फोलादपुर तह.नीमराना।

वादीगण।

बनाम

1. कैलाश देवी पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम फौलादपुर तह.नीमराना।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।
3. पी0एन0बी.शाखा शाहजहॉपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. बैक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक।

असल प्रतिवादीगण।

5. राजेन्द्र पुत्र प्यारेलाल जाति जाट निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना।

तर0प्रतिवादी।

दावा अंतर्गत धारा 88,53आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः 1.श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2.प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 हाल 1899/0.17,1906/0.11 वाके ग्राम फौलादपुर तह.नीमराना मे वादी सं. 01 का हि0 1/6 व वादी स. 02,03 04 प्रत्येक का हि0 1/108 व वादी सं. 05 लगा. 09 व तर0प्रति0 प्रत्येक का 1/36 हि0 है तथा प्रतिवादी सं. 01 का 1/2 हि0 खातेदारी मे दर्ज है इसी अनुसार मौके पर आराजी मुतनाजा पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। दोनों ख.नं. एक साथ लगते हुए है तथा ख.नं. 1906 के तरफ उत्तर मे लगता हुआ हम वादीगण व तर0प्रति0 की खातेदारी ख.नं. 1905 है तथा ख.नं. 1899 मे तरफ दक्षिण मे लगता हुआ [illegible] का ख.नं. 1897 स्थित है इसी अनुसार हम वादीगण व असल प्रति[illegible] 01 द्वारा मौके परबहामी बंटवारा किया हुआ है ख.नं. 1899,1[illegible] हुआ है जिसके 1/2 हि0 यानि 14 एयर भूमि की खा[illegible] है जिसके हि0 मे [illegible] 1899 मे से 14 एयर भूमि तरफ दक्षिण मे आई हुई है [illegible] प्रतिवादनी सं. 01 [illegible]नं. 1897 से लगती हुई है। तथा हम वादीगण व तर0प्रति0 के हि0 मे ख.नं. 1906 रकबा 11 एयर संपूर्ण व ख0नं0 1899 मे से 03 एयर भूमि तरफ उत्तर की ख.नं. 1906 से लगती हुई आई है। जो वादीगण के ख.नं. 1905 से लगती हुई है,इसी प्रकार काफी वर्षो से बाहमी बंटवारा किया हुआ हे तथा मौके पर काबिज काश्त है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे सहखातेदारी मे दर्ज है। इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.07.20 13:50:31 IST
Reason: SelfAttested

(क) डिक्री तकसीम आराजी इस अमर की जारी की जावे कि हाल ख.नं. 1906/0.11 संपूर्ण व ख.नं. 1899/0.17 मे से 03 एयर भूमि तरफ उत्तर पर से प्रतिवादनी सं. 01 का नाम कलमजन किया जाकर उसके हि0अनुसार खातेदारी हम वादीगण व तर0प्रति0 को घोषित किया जावे तथा ख.नं. 1899/0.17 मे से 14 एयर तरफ दक्षिण पर से वादीगण एंव तर0प्रति0 का नाम कलमजन किया जाकर उसकी खातेदारी प्रतिवादनी सं. 01 को घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार पृथक–पृथक खाते कायम किए जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किए जाने के आदेश फरमावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर अता फरमावे।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए लिहाजा उनके विरूद्व आज दिनांक 24.11.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 के अवलोकन से साबित है कि आराजी विवादित पक्षकारान की सहखातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। दिनांक 24.11.2022 को वादीगण का वाद प्रा0डिक्री किया जा कर तहसीलदार,नीमराना को मौके पर कुर्रे कायम कर कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

4. तहसीलदार,नीमराना ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/5283 दिनाक 26.12.2022 के द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्रेषित कि गई कुर्रे कायमी रिपोर्ट सामिल पत्रावली की जाकर वकील वादीगण को सुना गया वकील वादीगण ने कुर्रे कायमी रिपोर्ट के अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

5. हमने वकील वादीगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए वाद वादीगण बाबत तकासमा आराजी डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

6. अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण बाबत तकासमा आराजी बहक वादीगण एंव तर0प्रतिवादी, विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम फौलादपुर तह.नीमराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	वि0वि0
1.	1. उम्मेदसिंह पुत्र रोशनलाल हि0 1/3 जाति [illegible] इण्डिया,बहरोड सा0 देह [illegible] 2. दुलीचन्द [illegible] जाट [illegible] शाहजहाँपुर [illegible] 3. केला पत्नी रामकुवार हि0 1/[illegible] जाति जाट सा0देह खातेदार। 4. प्रियंका पुत्री रामकुवार हि0 1/54 जाति जाट सा0देह खातेदार। 5. सरला पुत्री रामकुवार हि0 1/54 जाति जाट सा0देह खातेदार। 6. राजेन्द्र पुत्र प्यारेलाल हि0 1/18 जाति जाट सा0देह खातेदार। 7. लक्ष्मी पुत्री प्यारेलाल हि0 1/18 जाति	1906 [illegible]99/1	0.11 0.03	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.07.20 13:50:31 IST
Reason: SelfAttested

	9. सरबती पत्नी प्यारेलाल हि0 1/18 जाति जाट सा0देह खातेदार। 10. सावित्री पुत्री प्यारेलाल हि0 1/18 जाति जाट सा0देह खातेदार।			
		किता 02	रकबा 0.14	
2.	1. कैलाश देवी पत्नी रामनिवास जाति जाट सा0देह खातेदार।	1899/2	0.14	
		किता 01	रकबा 0.14	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.1.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25/1/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.07.20 13:50:31 IST
Reason: SelfAttested